

मोबाईल नंबर प्र उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

अधिवक्ता

2/252/2022

तारीख रजू

ध्रुवी

बनाम

हेमन्त कुमार वगैरा

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

29.08.2022

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 832, 1034, 782, वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से तक रिकार्ड एवं मौकें की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिये कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 06.10.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.10.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

प्रमुख अतिथि  
कठूमर (अलवर)

6/10/22

29/8/22

29.8.22

13/11/22

अधिवक्ता

15/11/2022

पत्रावली आते हुए वाद के अन्तर्गत वकील सायला के अर्चना पत्र पर हलफ ले कर पेश हुई वकील सायला ने आर्चना पत्र पेश कर आपने वाद को इसी अर्चना पत्र पर खारिज कर दिया है

